lfpdkLr lfpdkvks dh lph&2015

tu&2015

f'k{kk foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01/लोक(शिक्षा)13/2012	मार्डन पब्लिक स्कूल झुमरीतिलैया में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का लागू न होने के संबंध में राकेश कुमार शर्मा, झुमरीतिलैया का परिवाद ।	07.07.2015	बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लंबित है। अतः अलग से अन्य समान्तर जांच की आवश्यकता नहीं हैं। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(शिक्षा)04/2013	राजकीय हिन्दी मध्य विद्यालय थड़पखना राँची में मध्याहन भोजन में अनियमितता के संबंध में श्री दिनेश प्रसाद कमलाकान्त रोड, राँची का परिवाद ।	23.06.2015	उपायुक्त राँची द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कर दिया गया है। विद्यालय विकास फंड का व्यकिगत रूप से खर्च करने का आरोप सही नहीं पाया गया । अतः उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(शिक्षा)16/2013	मनीष कुमार, शिक्षा मित्र, नव प्राथमिक विद्यालय, मांझी टोला, जरंगडीह, बोकारोपर विभिन्न अनियमितता का आरोप ।	10.06.2015	जिला शिक्षा अधीक्षक बाकारो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(राजस्व)07/12	गलत जमाबंदी का आदेश निर्गत करने के संबंध में	15.06.2015	संबंधित वाद जो अचल संपति के बंटवारे से संबंधित

		श्री मनीष गुप्ता गुमला का परिवाद ।		तथा कई अन्य न्यायालों में लंबित है। है। अतः वाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)06/09	जिला भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी गुमला द्वारा सेवा निवृत कर्मी जीतनारायण पाण्डेय अमीन का द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं देने के संबंध में ।	10.06.2015	जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के देय पावनाओं का भुगतान करते हुए परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(स्वा0)02/14	मृत्यू उपादान के अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में मो0 कौशल्या देवी जमशेदपुर का परिवाद ।	10.06.2015	प्रधान सचिव स्वास्थ्या विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के बकाया का भुगतान बिहार सरकार के द्वारा किया जाना है। इनका अन्य भुगतान भी बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद करदिया गया ।
2.	02/लोक(स्वाद्ध)01/13	ACP एवं MACP के संबंध में श्रीमती जगेश्वरी हांसदा सेवानिवृत ANM दुमका का परिवाद ।	15.06.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादीनी के सभी देय पावनाओं का भुगतान हो जाने के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

ty lalk/ku foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfUre vkns'k
1.	02 / लोक(जल सं.)05 / 2012	अव्यवहृत अवकाश की स्वीकृति व ए.सी.पी. लाभ के संबंध में श्री दानिएल कुजूर, देवघर का परिवाद ।	16.06.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी बकाय देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fl pkbZ foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfUre vkns'k
1.	02 / लोक(सिंचाई)02 / 14	सामान्य भविष्यनिधि एवं ग्रुप बीमा का भुगतान के संबंध में सुकोमनि मराण्डी, सारठ, देवघर का परिवाद ।	15.06.2015	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचासई प्रमंडल दुमका केम्प देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के मुख्य परिवाद का निराकरण कर दिया गया तथा अन्य का भुगतान अभिलेख नहीं रहने के कारण संभव नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।

iqfyl foHkkx

de la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfUre vkns'k
1.	02 / लोक(पुलिस)08 / 13	श्री दीपक कुमार सिंह के साथ अवैद्य चिमनी भटठा धारकों द्वारा मार पीट करने एवं इस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में परिवाद ।	15.06.2015	पुलिस उप–महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग के प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को माननीय लोकाायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

x`g foHkkx

de l0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01／लोक(गृह)02／2015	श्री अश्विनी तिवारी जेलर केन्द्रीय कारा होटवार, राँची के विरूद्ध कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, धांधली एवं वित्तीय अनियमितता के संबंध में श्री प्रभात तिवारी व अन्य 135 कैदी, होटवार जेल राँची ।	1.06.2015	लोकायुक्त के सचिव श्री दीपक कुमार के द्वारा समर्पित विस्तृत जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

xzkeh.k fodkl foHkkx

de l0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01／लोक(ग्रा.वि.वि.)02／13	श्री अतुल कुमार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरही व अन्य के मिलीभगत से इन्दिरा आवास योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनियमितता किये जाने के संबंध में गुलाम मुस्तफा अंसारी, बरही का परिवाद ।	15.06.2015	उप विकास आयुक्त हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.				

lekt dY;k.k foHkkx

de l0	lfpdk la[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01／लोक(स.क.)01／13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी –सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्रीमती छविबाला बारला के विरूद्ध भ्रष्टाचार कर सरकारी राशि का गबन करने के संबंध में श्री बिनोद प्रजापति, पलामू का परिवाद	08.06.2015	उपायुक्त पलामू से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकाायुक्त द्वारा शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

fo|qr foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01/लोक(विद्युत)01/14	विद्युत कार्य प्रमंडल राँची में अनियमितता के संबंध में श्री सतीश कुमार, हेहल राँची का परिवाद।	15.06.2015	परिवाद पत्र के सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परिवाद सामान्य प्रकृति का है तथा यह उर्जा विभाग के किसी लोकसेवक के विरूद्ध नहीं है। उक्त के आलोक परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वार बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(विद्युत)02/2013	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में अमरेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, धुर्वा राँची का परिवाद ।	12.06.2015	कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति डिविजन डोरण्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निरकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद करदिया गया ।

f'kdk;r

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	शिकायत सं. 63/2015	भ्रष्टाचार उजागर करने पर मांडू प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने तथा परिवादी को झूठा केस में फंसाने के संबंध में श्री विशाल कुमार मलाकार, रामगढ़ का शिकायत।	11.06.2015	परिवादी को शिकायत के संबंध में अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं0 174/2015	सब जज 2 देवघर के कोर्ट में दर्ज टाईटल सूट	24.06.2015	माननीय न्यायालय में मामला लंबित है। अतः वाद

		नं0 07/09 के बावजूद भी हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने के संबंध में देवंती देवी का शिकायत ।		झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 153/2015	अंगरक्षक उपलब्ध कराने के संबंध में मो0 सिकन्दर नवाज खान, चौपारण का परिवाद ।	15.06.2015	वाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 73/2015	वाणिज्यकर चेकपोस्ट चोरदाहा चौपारण के अधिकारियों एवं दलालों की मिली भगत से राजस्व का गबन करने के संबंध में श्री सिकन्दर नवाज खान चौपारण का परिवाद ।	08.06.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 108/15	जमीन का बन्दोवस्ती अंचलाधिकारी, धनबाद द्वारा नहीं किये जाने के संबंध में श्री हरेन्द्र मिश्रा धनबाद का शिकायत ।	12.06.2015	शिकायतकर्त्ता पूर्व में माननीय उच्च न्याायालय झारखण्ड राँची में इसी वाद के संदर्भ में रिट सं. 652/2007 दाखिल किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया जा चूका है। अतः शिकायत झारखण्ड लोकाायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 87/2015	पुस्तैनी जमीन को भैयाद द्वारा जबरन कब्जा कर लेने के संबंध में श्री बद्री पोद्दार सारठ देवघर का शिकायत ।	12.06.2015	शिकायत पैतृत संपति के बंटवारे से संबंधित है जिसका निप्टारा सिविल कोर्ट के माध्यम से ही संभव है। अतः शिकायत झारखण्ड लोकाायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 659/2013	फर्जी लगान रसीद के द्वारा अवैद्य जमाबंदी कायम करने के संबंध में श्री कृष्ण कुमार महतो, रामगढ़ का परिवाद ।	26.06.2015	त्रुटि निराकरण हेतु भेजा गया पत्र अपूर्ण पता के कारण कार्यालय वापस आ गया । अतः शिकायत छदम नामी रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 163/15	अंचलाधिकारी रंजीता टाप्पो व अन्य के विरूद्ध पद का दुरूपयोग व गैरकानूनी कार्य करने के संबंध में सन्नाउल्लाह अंसारी सिसई, गुमला का शिकायत ।	11.06.2015	शिकायत पूर्व से ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची व व्यवहार न्यायालय गुमला ममें लंबित है। अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत

				पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 628/2013	वित्तीय अनियमितता के संबंध में नसीम अंसारी मरकच्चो का शिकायत ।	22.06.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं.93/2014	अंचलाधिकारी बाघमारा द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में श्री रविशंकर कुमार सिन्हा का शिकायत ।	08.06.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं.250(खा.आ.)/14	जनवितरण दुकानदार द्वारा चावल नहीं देने के संबंध में गणेश यादव, राजडीह, देवघर का शिकायत ।	08.06.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
12.	शि.स. 452(स्वा.)/14	बिना त्याग पत्र दिये चुनाव लड़ने तथा प्राईवेट नर्सिंग होम चलाने के संबंध में श्री किशोर मानगो का शिकायत ।	24.06.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
13	शि. सं. 128 (शिक्षा) 128/15	जिला शिक्षा अधीक्षक , धनबाद द्वारा मनमानी ढंग से कार्य करने के संबंध में श्री सुनील सोरेन धनबाद का परिवाद ।	16.06.2015	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
14.	शि.सं.228–शिक्षा.228/14	शियावर प्रसाद, जिला शिक्षा अधीक्षक जामताड़ा पर विभिन्न प्रकार के अनियमितता के संबंध में श्री विशेवर मंडल व अनरू का शिकायत ।	08.06.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
15.	शि.स. 50.कृषि–/2015	झारखण्ड राज्य कृषि विपणन में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री राणा प्रताप सिंह राँची का शिकायत ।	08.06.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।(छदम नामी)

16.	शि.सं.–402–शिक्षा /14	उत्क्रमित मध्य विद्यालय होरेदाग, गढ़वा के प्रधानाध्यापक तथा ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष पर विद्यालय भवन निर्माण की राशि गबन करने के संबंध में शिकायत ।	16.06.2015	शिकायत सं. 549/2014 पूर्व से ही मुख्य न्यायिक दण्डाधिकरी गढ़वा के न्यायालय में लंबित है। अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 160/15	अनुकम्पा के आधार पर CCL में नौकरी दिलाने के संबंध में श्री नवनीत श्रीवास्तव, रामगढ़ का शिकायत ।	25.06.2015	शिकायत ब्ब्स के विरूद्ध किया गया है जो भारत सरकार का लोक उपक्रम है तथा झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अनतर्गत नहीं आता है। अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।